राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प.7(3)कार्मिक/क–2/08 जयपुर, दिनांकः 25.04.2008

1. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषयः–विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 01.04.1997 के द्वारा निम्न प्रकार से विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर प्रावधान वर्णित किये गये थेः–

'That if a candidate belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe is promoted to an immediate higher post/grade against a reserved vacancy earlier than his senior general/OBC candidate who is promoted later to the said immediate higher post/grade, the general/OBC candidate will regain his seniority over such earlier promoted candidate of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the immediate higher post/grade.'

इसके उपरान्त पश्चात्वर्ती अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2002 दिनांक 28.12.2002 द्वारा संशोधित अधिसूचना निम्न प्रकार से जारी की गई थीः–

'The existing proviso to rule as mentioned in column number 3 against each of the Service Rules as mentioned in column number 2 shall be deemed to have been deleted w.e.f. 1-4-1997 and the following new proviso shall be deemed to have been inserted as the last proviso to the respective rule as mentioned in Column No. 3 w.e.f. the date of issue of this notification.

Provided that a candidate who has got the benefit of proviso inserted vide Notification No. F.7(1)DOP/A-II/96 dated 1-4-97 on promotion to an immediate higher post shall not be reverted and his seniority shall remain unaffected. This proviso is subject to final decision of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 234/2002 All India Equality Forum V/s Union of India and Others.'

इसके साथ ही परिपत्रादेश क्रमांक प.4(2)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 दिनांक 28.12.2002 निम्न प्रकार से प्रसारित किया गया थाः–

"इस प्रकार समस्त विभाग वर्तमान में पदोन्नति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/96 दिनांक 01.04.1997 से लागू रिगेनिंग सिद्धान्त, जिसे अब विलोपित किया जा चुका है, से पूर्व की वरिष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति से भर सकेंगे। यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह सभी कार्यवाही पूर्णतः अन्तरिम व्यवस्था के रूप में होगी एवं इसके आधार पर की गई समस्त पदोन्नतियां माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन ही होगी। अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को उपरोक्त निर्देशानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाता है।'

भारत के संविधान में 85वां संशोधन पारित हुआ जिसे रिट याचिका (सिविल) संख्या 234/2002, अखिल भारतीय समानता मंच बनाम भारत सरकार के प्रकरण में मा. उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, इस रिट याचिका का निर्णय रिट याचिका (सिविल) संख्या 61/2002, एम. नागराज बनाम भारत संघ के प्रकरण के साथ दिनांक 19.10.2006 को पारित किया जिसमें भारत के संविधान के 77वें, 81वें, 82वें एवं 85वें संशोधन को वैधानिक घोषित किया गया।

अतः राज्य सरकार ने मा. उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय की अनुपालना में अधिसूचना क्रमांक क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/08 दिनांक 25.04.2008 प्रसारित कर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.12.2002 के द्वारा जोड़ा गये परन्तुक को दिनांक 28.12.2002 से ही विलोपित कर दिया गया है।

इस प्रकार पुनः अर्जित वरिष्ठता (Regaining seniority) के सिद्वान्त से प्राप्त लाभ अधिसूचना दिनांक 28.12.2002 के परन्तुक के द्वारा स्थाई रूप से Regaining seniority के सिद्वान्त को समाप्त करने के उपरान्त भी सुरक्षित/अप्रभावित रखे गये थे किन्तु यह परन्तुक हटाये जाने के उपरान्त अब यह लाभ देय नहीं है। तद्नुसार इस प्रकार के राजसेवकों को दिये गये परिलाभों का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विलोकन बैठक आयोजित करने की कार्यवाही करें।

इस परिपत्र की अनुपालना में आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति हेतु कार्मिक विभाग की पृथक से सहमति की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरण कार्मिक विभाग की सहमति हेतु नहीं भेजे जावें।

(संजय मल्होत्रा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राज. जयपुर।
3. सचिव, राज. विधानसभा, जयपुर।
4. पंजीयक, राज. उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राज. सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर।

(डॉ0 लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राज. जयपुर।
2. शासन प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

16/2008